# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः एफ2(8)/संकलन/सीए–137/ 849 दिनांक : 27/03/15

## विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त 47 इकाइयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये संधारित वित्तीय लेखो का कर–अंकेक्षण करना, अंतिम वित्तीय लेखे (वार्षिक लेखे) तैयार करना, वित्तीय लेखो का सत्यापन/प्रमाणन करना एवं आयकर नियमानुसार निर्धारित समयावधि में आयकर विवरणिका (3CB, 3 CD, 10B) तैयार कर प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्य करने हेतु इच्छुक सनदी लेखाकार/फर्म जो संलग्न प्रारूपानुसार निर्धारित मानदण्ड पूरे करते हो, से आवेदन पत्र सहित तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 23.02.2015 तक अलग2 सील बंद लिफाफों में आमंत्रित किये गये थे।

अपरिहार्य कारणवश उक्तानुसार तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग2 सील बंद लिफाफों में प्राप्त करने की समयावधि दिनांक 31.03.2015 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे तक बढाई जाती है। प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों के लिफाफे उसी दिन सायंकाल 4.30 बजे उपस्थित प्रस्तावको के सम्मुख खोले जायेगें।

तकनीकी प्रस्ताव में योग्य पाये गये सनदी लेखाकारों से प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 07 अप्रैल 2015 को उपस्थित प्रस्तावको के सामने सायंकाल 4.30 बजे खोले जायेगें।

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदनोपरांत जारी।

**संलग्न – उपरोक्तानुसार ।**

sd/-
**लेखाधिकारी (संकलन)**

**प्रतिलिपि –**

1. निजी सचिव – आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव – वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) को प्रेषित कर लेख है कि बोर्ड की वेबसाइट पर एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (www.sppp.raj.nic.in) की वेबसाईट पर भी अपलोड कराने का श्रम करें।

**लेखाधिकारी (संकलन)**

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

## विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन बोर्ड की समस्त 47 इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए संधारित वित्तीय लेखों का कर-अंकेक्षण, आयकर प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तिम लेखे (वार्षिक लेखे) तैयार करना, वित्तीय लेखों का सत्यापन/प्रमाणन करना, आयकर विवरणिका तैयार कर निर्धारित समयावधि में आयकर विभाग में प्रस्तुत करना आदि कार्य करने के इच्छुक सनदी लेखाकार/फर्म जो निर्धारित मानदण्ड पूरे करते हों, से आवेदन पत्र सहित तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 23.02.2015 मध्यान्ह पश्चात 3.00 बजे तक अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त प्रस्तावों में तकनीकी प्रस्ताव उसी दिन सायं 4.30 बजे खोले जायेंगे।

तकनीकी प्रस्ताव में योग्य पाये गये सनदी लेखाकारों से प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 26.02.2015 को उपस्थित प्रस्तावकों के सामने सायं 4.00 बजे खोले जायेंगे।

निर्धारित मानदण्डों का विवरण संलग्न है।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- 712

दिनांक :- 09/2/15

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (SA) को भेजकर लेख है कि राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट के साथ ही स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल (http//sppp.raj.nic.in) की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।

वित्तीय सलाहकार

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

**सी.ए. फर्म हेतु निर्धारित योग्यता संबंधी तकनीकी मानदण्ड :-**

1. सी ए जी में एमपैनलमेन्ट/रजिस्टर्ड होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
2. फर्म सर्विस टैक्स में पंजीकृत हो, का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
3. संस्था/फर्म कम से कम 5 वर्ष पुरानी पंजीकृत एवं सुस्थापित होने का साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करें।
4. फर्म में कम से कम 5 सी.ए. पार्टनर एवं पर्याप्त संख्या में Skilled Articles होने का साक्ष्य प्रस्तुत करें। परन्तु बोर्ड में कर-अंकेक्षण, लेखा-निर्माण, आयकर विवरणिका प्रस्तुतीकरण एवं कर-निर्धारण संबंधी सन्तोषजनक कार्य कर चुकी सी.ए. फर्मो के पार्टनर्स् की निर्धारित न्यूनतम संख्या 5 के स्थान पर तीन तक विचार किया जा सकता हैं।
5. सी.ए. फर्म को कर-अंकेक्षण, लेखा-निर्माण, प्रारूप संख्या 3CB, 3CD एवं 10B में आयकर विवरणिका प्रस्तुतीकरण संबंधी प्रत्येक कार्य का कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक हैं।

वित्तीय सलाहकार